बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 367349 पटना, दिनांक 27/04/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

पटना एवं मधुबनी ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पटना के पत्रांक-632 दिनांक-23.03.18 के माध्यम से संविदा कर्मी एवं विकास मित्र को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास का लाभ देने के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

मधुबनी जिला के द्वारा पत्रांक-373 दिनांक-23.02.18 से सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के माध्यम से आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के आधार पर चयनित परिवारों में से चयनित लाभुक की पत्नी वर्तमान में सरपंच पद पर बने रहने एवं एक अन्य मामले में चयनित लाभुक का वित्त रहित महाविद्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के सूची से अयोग्य परिवारों का नाम हटाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आलोक में विभागीय पत्रांक-332428 दिनांक-11.10.17 एवं पत्रांक-276296 दिनांक-24.06.16 द्वारा parameters for exclusion स्पष्ट रूप से संसूचित किया गया है (छाया प्रति संलग्न) ।

अत: अनुरोध है कि उक्त दिशा-निर्देशों में वर्णित मापदण्डों (parameters for exclusion) के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 367349 पटना, दिनांक 27/04/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2153 B.doc

Annexure I

Parameters for exclusion:

A household fulfilling any of the 13 parameters listed below will be automatically excluded:

1. Motorised two/three/four wheeler/ fishing boat
2. Mechanised three/ four wheeler agricultural equipment
3. Kisan Credit Card with credit limit of Rs.50,000 or above
4. Household with any member as a Government employee
5. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6. Any member of the family earning more than Rs.10,000 per month
7. Paying income tax
8. Paying professional tax
9. Own a refrigerator
10. Own landline phone
11. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons
13. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

Criteria for automatic inclusion

1. Households without shelter
2. Destitute / living on alms
3. Manual scavengers
4. Primitive Tribal Groups
5. Legally released bonded labourer

Definitions

- **Houses with kutcha wall** – Houses where the material used for wall is Grass/thatch/bamboo or plastic/polythene or mud/unburnt brick or wood or stone not packed with mortar.
- **Houses with kutcha roof** – Houses where the material used for roof is Grass/thatch/bamboo/wood/mud or plastic/polythene or handmade tiles

(163)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 332428 पटना, दिनांक:- 11/10/17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(लक्ष्य)-115-01/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित कराने के निमित्त आवास की आवश्यकता वाले छूटे हुए परिवारों की सूची भेजने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों के चयन करने के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-11014/1/2014-RH दिनांक-13.04.16 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर विभागीय पत्रांक-276296 दिनांक-24.06.16 में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की सूची को डाउनलोड कर सूची की जाँच, सत्यापन के बाद ग्राम सभा से अनुमोदन की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था । उक्त विभागीय पत्र की कंडिका-12(ख) में यह भी उल्लेख किया गया था कि सूची में कोई नया नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं है किन्तु सूची के विरूद्ध यदि कोई आपत्ति देना चाहता है तो ग्राम सभा की तिथि के छ: माह के अंदर अपना आपत्ति आवेदन सक्षम प्राधिकार (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) के समक्ष दे सकता है तथा सक्षम प्राधिकार इन दावा आपत्तियों की विधिवत जाँच कर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजेंगे एवं अपीलीय प्राधिकार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निर्णय लेते हुए जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-G-20011/01/2015-RH(A/C) दिनांक-31.07.17 (प्रति संलग्न) द्वारा आवास की आवश्यकता वाले परिवारों का नाम जोड़ने हेतु प्राप्त दावा को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए निर्धारित 13 Point for Automatic Exclusion के आधार पर छानबीन के पश्चात नाम जोड़ने की अनुशंसा मांगी गयी है ।

अत: भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित कराने के निमित्त आवास की आवश्यकता वाले परिवारों का नाम जोड़ने हेतु प्राप्त दावा आपत्तियों को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए निर्धारित संलग्न 13 Point for Automatic Exclusion के आधार पर छानबीन के पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदित कराकर संलग्न प्रपत्र में प्रखण्डवार, पंचायतवार एवं कोटिवार परिवारों की संख्या का विवरण विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

10/10/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 332428 पटना, दिनांक 11/10/17

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/10/2017

सरकार के सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1928.doc

Parameters for exclusion:

A household fulfilling any of the 13 parameters listed below will be automatically excluded:

1. Motorised two/three/four wheeler/fishing boat
2. Mechanised three/four wheeler agricultural equipment
3. Kisan Credit Card with credit limit of Rs. 50,000 or above
4. Household with any member as a Government employee
5. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6. Any member of the family earning more than Rs. 10,000 per month
7. Paying income tax
8. Paying professional tax
9. Own a refrigerator
10. Own landline phone
11. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop season
13. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment

प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्राप्त दावा/आपत्ति की संख्या	प्राप्त दावा/आपत्ति का 13 Point for Automatic Exclusion के आधार पर छानबीन के पश्चात नाम जोड़ने हेतु पात्र परिवारों की सं0				
				Gen	SC	ST	Minority	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1928.doc

ECN - 51838/17

Prasant Kumar
Joint Secretary(A&C/RH)
Tel.No. 23389828
Fax No.23073526
e-mail: prasant.kumar@gov.in

एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110114

DO No.- G-20011/01/2015-RH (A/C)

Dated: 31st July 2017

Dear Shri Arvind

As you are aware, the Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin is being implemented by the Government to realize the noble goal of 'Housing for All by 2022'. Significant progress has been made in this direction since the launch of the scheme by the Hon'ble PM in November, 2016. Commendable efforts have been put in by all States. The zeal and enthusiasm with which this initiative has been taken up is evident in the quality of houses being constructed under PMAY-G.

2. To ensure that the scheme does not lose momentum and to allow advanced planning, tentative targets for FY 2017-18 were communicated to all States/UTs in March, 2017. I would like to reiterate that a target of 5,38,959 houses has been allocated to your State for FY 2017-18. In line with the scheme's focus on disadvantaged sections of the population, the State is required to earmark atleast 60% of targets for SC and STs.

3. Tentative targets of the State for minorities till FY 2018-19 is 2,72,230 houses out of which 1,06,551 houses have been allocated to the State in FY 2016-17. In the current FY, 90,059 houses are to be allocated to Minorities subject to availability of eligible beneficiaries in the Permanent Waitlist (PWL).

4. To enhance transparency and increase awareness among eligible beneficiaries, the Ministry has decided to make the PWL available in the public domain through AwaasSoft from 1st August, 2017. Your State is requested to expedite the process of finalizing PWL to ensure the success of this initiative. To address the issue of genuinely deprived households being left out, the Ministry is compiling data on exclusion from all States/UTs. [redacted] State may send a consolidated report on households recommended for inclusion, after scrutinizing their claim against 13 point automatic exclusion criteria outlined in the Socio Economic and Caste Census (SECC), to facilitate the Ministry towards this end.

5. I would like to express my gratitude to your State for its dedication towards realizing the shared goal of 'Housing for All' with the hope that the cooperation continues till every household in rural India has a pucca shelter to live in.

with best wishes

Yours sincerely,

(Prasant Kumar)

Shri Arvind Kumar Chaudhary,
Secretary (RD)
Department of Rural Development
Government of Bihar
PATNA-800 001